दैनिक जागरण दिनांक 06/01/2026

कानपुर नगर निगम

(निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन) उपविधि 2024

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास विभाग अनुभाग-9 लखनऊ द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-925/नौ-9-2025-ई-1853096 दिनांक 09, मई 2025 नगर निगम (निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन) मानक उपविधि 2025 एवं नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत (निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन) मानक उपविधि 2025 लागू किये जाने के सम्बन्ध में है,

तद्क्रम में नगर निगम कानपुर मा0 सदन की बैठक दिनांक 26.12.2025 द्वारा पारित प्रस्ताव में किसी विधिक उत्तराधिकारी या पंजीकृत वसीयत एवं पंजीकृत बैनामा इत्यादि के मामलें मे निम्नवत् दरें प्रस्तावित की गई है।

क्र.सं.	आवेदन शुल्क
01	रू. 1000/- (रू. एक हजार मात्र)

क्र.सं.	सम्पत्ति पर एकमुश्त प्रभार की धनराशि
01	रू. 5000/- (रू. पाँच हजार मात्र)

विलम्ब शुल्क

क्र.सं.	नामान्तरण कराये जाने में विलम्ब (वर्ष के आधार पर)	विलम्ब शुल्क
1	एक वर्ष से तीन वर्ष तक	रू. 1000/- (रू. एक हजार मात्र)
2	तीन वर्ष से अधिक पाँच वर्ष तक	रू. 2000/- (रू. दो हजार मात्र)
3	पाँच वर्ष से अधिक दस वर्ष तक	रू. 5000/- (रू. पाँच हजार मात्र)
4	दस वर्ष से अधिक	रू. 10,000/- (रू. दस हजार मात्र)

क्र.सं.	विज्ञापन शुल्क
01	रू. 500/- (रू. पाँच सौ मात्र)

उपरोक्त के क्रम में नगर निगम कानपुर द्वारा आपत्ति आमन्त्रित की जा रही है, जिसके सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह विज्ञप्ति प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर नगर निगम कानपुर को पत्र प्रेषण एवं प्राप्ति पटल (केन्द्रीय कार्यालय), पंजीकृत डाक पर दे सकते है। उक्त अवधि के उपरान्त कोई आपत्ति स्वीकार्य नही होगी और उक्त प्रस्ताव को अमल में लाया जायेगा। प्रस्तावित उपनियम की प्रति जनसामान्य के अवलोकनार्थ नगर निगम मुख्यालय एवं सभी जोनल कार्यालयों पर उपलब्ध है।

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश नगर विकास विभाग अनुभाग-9 लखनऊ द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-925/नौ-9-2025-ई-1853096 दिनाक 09, मई 2025 के बिन्दु यथावत प्रस्तावित है, जोकि नगर निगम कानपुर की ऑफिशियल वेबसाइट www.knnpropertytax.com या www.kmc.nic.in पर भी उपलब्ध है,

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी **अपर नगर आयुक्त** **नगर आयुक्त**

कानपुर नगर निगम

नगर निगम मुख्यालय, मोतीझील स्थित सदन सभागार में दिनांक 29.11.2025 को स्थगित दिनांक 26.12.2025 दिन शुक्रवार को मध्यान्ह 12:00 बजे सम्पन्न, मा0 सदन की बैठक का कार्यवृत्त।

3. श्रेणी–3 के लिये– 20,000/– रू.
4. श्रेणी–4 (01 से 11 जोडों तक) के लिये– 5,000/– रू.
(12 से 21 जोडों तक) के लिये– 10,000/– रू.
(22 से 51 जोडों तक) के लिये– 20,000/– रू.

नोटः– आवेदन पत्र के साथ प्रमाणपत्र की छायाप्रति, आधार कार्ड संलग्न करना न भूलें।

प्राप्ति रसीद

प्रार्थना पत्र संख्या :

दिनांक :

1	आवेदक का नाम	
2	आवेदन की श्रेणी	
3	प्राप्त धनराशि (रू0)	
4	बुकिंग दिनांक	

नगर निगम सम्पति विभाग सम्पर्क सूत्र (मो0 8429525888) प्राप्त कर्ता के हस्ताक्षर

.... तद्नुसार तत्काल से बुकिंग प्रारम्भ कराये जाने के साथ सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी एवं अध्यक्ष ने वैवाहिक जोड़ो का आधार लिये जाने हेतु निर्देशित किया।

प्रस्ताव संख्या– 208

दिनांक 10.12.2025 को सम्पन्न हुई, मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक का टेबुल प्रस्ताव संख्या–319 द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुये मा0 सदन के स्वीकृतार्थ अग्रसारित किया गया।

पार्षद वेलफेयर एसोसिएंशन के श्री अभिनव शुक्ला, पार्षद, श्री नीरज रक्सेल, पार्षद, श्री मनीष मिश्रा, पार्षद, श्री मनीष मिश्रा, पार्षद, श्री सौरभ देव, पार्षद, आकर्ष वाजपेयी, पार्षद द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

विषय :नामान्तरण शुल्क सम्बन्धित नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत नगर निगम (निर्धारण सूची में संशोधन एवं परिवर्तन) मानक उपविधि 2025 के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयांकित संलग्न शासनादेश, जिसमें नामान्तरण शुल्क का वर्गीकरण करते हुए शासनादेश निर्गत किया गया है। उक्त शासनादेश के अनुसार कार्यवाही प्रदेश के कई नगर निगमों मे लागू हो गया है, किन्तु कानपुर नगर निगम में कतिपय कारणवश लागू नहीं हो पाया है। उक्त शासनादेश के अनुसार कार्यवाही करायी जाती है, तो कानपुर महानगर के नागरिकों में अत्यन्त हर्ष व्याप्त हो जायेगा।

अतएव आपसे अनुरोध है कि शासनादेश में वर्णित व्यवस्था उत्तराधिकारी या रजिस्ट्रीकृत एवं जिलाधिकारी सर्किल रेट या पंजीकरण के आधार को सरलीकृत करते हुए सभी के लिये समान दर रू0 1000/– आवेदन शुल्क, विज्ञापन शुल्क रू0 500/– एवं नामान्तरण रू0 5000/–(रू0 पॉच हजार मात्र) नामान्तरण शुल्क किये जाने हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति के संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

सभापति ने मुख्य कर निर्धारण अधिकारी से 1 प्रतिशत नामान्तरण शुल्क के स्थान पर शासनादेश के अनुसार कार्यवाही कराने में राजस्व हानि के सम्बन्ध में अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया।

श्री अनिरूद्ध सिंह, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी ने अवगत कराया कि 1 प्रतिशत नामान्तरण के आधार पर नगर निगम को वर्ष 23–24 में रू0 20 करोड़ 37 लाख, वर्ष 24–25 में रू0 15 करोड़ 85 लाख एवं वर्ष 2025–26 में अब तक रू0 4 करोड़ 41 लाख प्राप्त हुआ है। नयी व्यवस्था लागू होने के बाद ही नुकसान के बारे अवगत कराया जा सकता है।

सभापति ने कहा कि नामान्तरण में उत्तराधिकारी या रजिस्ट्रीकृत एवं जिलाधिकारी सर्किल रेट या पंजीकरण के आधार को सरलीकृत करते हुए सभी के लिये समान दर रू0 1000/– आवेदन शुल्क, विज्ञापन शुल्क रू0 500/– एवं

नामान्तरण रू0 5000/–(रू0 पॉच हजार मात्र) शुल्क रखे जाने मांग की गयी है। प्रस्ताव अच्छा है, चाहे 100 गज हो या 500 गज का सभी के लिये समान दर रहेगा।

श्री अनिरूद्ध सिंह ने कहा इसमें विकास शुल्क भी सम्मिलित होगा।

सभापति ने कहा कि मैं मा0 विधायक श्री सुरेन्द्र मैथानी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होने सदन में आकर सही दिशा दी।

अध्यक्ष ने पूछा कि इसके लागू होने में कितना समय लगेगा।

श्री अनिरूद्ध सिंह ने अगवत कराया कि मा0 सदन से पारित होने के बाद दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन कराकर 30 दिन में आपत्तियॉ मांगी जायेगी, उसके उपरान्त पुनः सदन में प्रस्ताव पर सदन के अनुमोदन के उपरान्त गजट कराया जायेगा, तत्पश्चात् लागू हो पायेगा।

अध्यक्ष ने कहा कि नामान्तरण में विलम्ब शुल्क का भी प्राविधान किया जाये, यदि 01 से 03 वर्ष तक का विलम्ब हो तो, ₹ एक हजार, 03 से 05 वर्ष हेतु ₹ दो हजार, ₹ 05 से 10 वर्ष हेतु 05 हजार एवं 10 वर्ष से अधिक हेतु ₹ दस हजार। जो वर्तमान शासनादेश आया है, उसमें वर्गीकरण है, जैसे किसी ने दो खंड का नक्शा पास कराया और मौके पर कुछ ज्यादा बना होता है, जिससे भविष्य में विवाद होगा, इसलिये इसे सरलीकृत करते हुए मकान 100 गज का हो या 1000 गज हो सबको एक बराबर करने का प्राविधान किया है।

श्री नवीन पण्डित ने कहा कि इस प्रस्ताव को पास किया जाये, ताकि शहर वासियों को नये साल लाभ दिलाया जा सके।

प्रस्ताव

नगर आयुक्त महोदय कार्यालय के पत्र संख्या– दिनांक द्वारा शासनादेश सं0–925/नौ–9–2025–ई–1853096 दिनांक 09, मई 2025 के अनुपालन में नगरनिगम(निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन) मानक उपविधि 2025 में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में –

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (अधिनियम सं0 2 सन् 1959) की धारा– 213 और धारा– 541 के खण्ड (42) एवं (49) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके कानपुर नगर निगम जिस उपविधि के बनाने का प्रस्ताव करता हैं, उसका निम्नलिखित प्रारूप अधिनियम, 1959 की धारा– 543 की अपेक्षानुसार समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए और उसके संबंध में आपत्तियाँ आमंत्रित करने की दृष्टि से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

आपत्तियाँ और सुझाव, यदि कोई, नगर आयुक्त नगर निगम कानपुर को सम्बोधित करके लिखित रूप में प्रेषित किये जायेंगे।क केवल उन्हीं आपत्तियों पर विचार किया जाएगा जो इस उपविधि के प्रकाशित होने के दिनांक से तीस दिनों के भीतर प्राप्त होंगे।

कानपुर नगर निगम (निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन) उपविधि, 2024

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ	1	(1) यह उपविधि कानपुर नगर निगम (निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन) उपविधि, 2024 कही जायेगी। (2) यह नगर निगम कानपुर में लागू होगी। (3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।
परिभाषाएँ	2	(1) जब तक विषय ये सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस उपविधि में– (क) अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 से है। (ख) आबादी का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जो राजस्व अभिलेखों में आबादी के रूप में अभिलिखित हो और जिसका उपयोग नगर निगम सीमा में उस क्षेत्र के सम्मिलित होने के दिनांक को उसके निवासियों के आवास और तत्सम्बन्धी प्रयोजनों के लिए किया जा रहा हो। (ग) निर्धारण सूची का तात्पर्य अधिनियम–1959 की धारा–207 के अधीन तैयार

		की गई कर निर्धारण सूची से है। (घ) संशोधन की परिवर्तन का तात्पर्य अधिनियम–1959 की धारा–213 के अधीन कर निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन से है। (ड़) सम्पत्ति का तात्पर्य यथास्थिति किसी भवन या भूमि या दोनों से है। (च) सम्पत्ति कर का तात्पर्य नगर निगम सीमा के अवस्थित भवनों या भूमियों या दोनों के वार्षिक मूल्य पर लगाए जाने वाले सामान्य कर/भवन कर जल कर जल निरसारण कर और स्वच्छता कर से है (2) इस उपविधि में प्रस्तुत किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उपके लिए कमशः समनुदेशित हों।
निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन का कारण	3	(1) अधिनियम, 1959 की धारा– 210 के अधीन नगर निगम कार्यालय में जमा प्रमाणीकृत कर निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन उक्त अधिनियम, 1959 की धारा–213 के अधीन उल्लिखित कारकों के प्रोद्भूत होने की स्थिति में किया जा सकेगा। (2) ऐसे व्यक्ति जो निर्धारण सूची के प्रमाणीकृत होने के पश्चात किसी कारणवश कराधान के लिए दायी हो गया है, उसका नाम सूची में सम्मिलित करके निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन किया जाएगा। (3) (क) किसी सम्पत्ति के स्वामित्व के हस्तान्तरण या स्वामित्व सामान्यतया निम्न के आधार पर प्राप्त होगा– (एक) पंजीकृत विकय धन द्वारा (दो) पंजीकृत वसीयत द्वारा (तीन) पंजीकृत विभाजन विलेख द्वारा (चार) पंजीकृत दान–पत्र द्वारा (पांच) विधिक उत्तराधिकार द्वारा (ख) किसी सम्पत्ति के अध्यासी के स्थान पर किसी व्यक्ति के नाम की प्रविष्टि की स्थिति समान्यतया इस प्रकार हो सकेगी– (एक) नगर निगम सीमा में नव सम्मिलित आबादी क्षेत्र में स्थित सम्पत्ति, (दो) गैर जमींदारी उन्मूलन (नान जेड0ए0) क्षेत्र की सम्पत्ति, (तीन) किसी सम्पत्ति जिसका किराया दिया जाता हो या देय हो। (चार) सम्पत्ति का किराया मुक्त किरायेदार और अनुज्ञापी। (4) (क) सम्पत्ति के त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन, वार्षिक मूल्य और कर की दर में वृद्धि/परिवर्तन होने से कर निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन किया जा सकेगा। (ख) किसी भी समय जब यह स्पष्ट हो जाये कि किसी सम्पत्ति का मूल्यांकन और कर निर्धारण सम्पतित के स्वामी/अध्यासी द्वारा गलत विवरण देने के आधार पर, या तथ्यों के छिपाने या भ्रान्त कथन या किसी भूल के कारण किया गया है तो उसमें किए गए सुधार की प्रविष्टि कर तदनुसार कर निर्धारण सूची संशोधित की जा सकेगी। (5) भवन में किये गये परिवर्तन और परिवर्धन के फलस्वरूप उसके वार्षिक मूल्यांकन और कर की धनराशि में वृद्धि करके निर्धारण सूची में संशोधन किया जा सकेगा।
सुची में संशोधन और परिवर्तन की प्रकिया	4	(1) (क) नियम 3 के अधीन निर्धारण सूची में व्यक्ति या सम्पत्ति का विविरण छूट जाने, नव निर्माण या पुनर्निर्माण होने पर स्वामी या अध्यासी निर्धारित प्रपत्र के साथ सम्पत्ति का स्वकर निर्धारण कर के सम्पत्ति कर की धनराशि पगर निगम द्वारा यथा निर्दिष्ट बैंक या कार्यालय में जमा कर सकेगा। नगर निगम के नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा स्वकर निर्धारण प्रपत्र के आधार पर अपेक्षित प्रविष्टियाँ निर्धारण सूची में की जाएँगी। (ख) अन्यथा स्थिति में सम्पत्ति का स्वामी या अध्यासी विहित प्रपत्र–1 में अपेक्षित सूचना निर्माण या पुनर्निर्माण के समापन अथवा अध्यासन के दिनांक जो भी पहले हो, के 60 दिवसों के भीतर नगर आयुक्त को अनिवार्य रूप से देगा। नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित प्राधिकृत अधिकारी तदुपरान्त नियमानुसार सम्पत्ति का मूल्यांकन और कर निर्धारण कर उसे तदनुसार कर निर्धारण सूवी में प्रविष्टि करेगा।

		(2) (क) सम्पत्ति के स्वामित्व या अध्यासन के हस्तान्तरण के फलस्वरूप कर निर्धारण सूची के संशोधन और परिवर्तन के निमित आवेदक नगर निगम की वेब साइट पर प्रपत्र–2 में अपना प्रोफाइल बनाकर आनलाइन आवेदन करेगा।

क्र0 सं0	अभिलेखों का प्रकार	मृत्यु के आधार पर	विक्रय पर, विभाजन विलेख, दानपात्र व अन्य के आधार पर	पंजीकृत वसीयत के आधार पर
1	आवेदक की फोटो (जे0पी0जी0 प्रारूप में)	✓	✓	✓
2	आवेदक की पहचान का प्रमाण (जे0पी0जी0 प्रारूप में)	✓	✓	✓
3	आवेदक का शपथ–पत्र (पी0डी0एफ0 प्रारूप में)	✓	✓	✓
4	पंजीकृत विक्रय–विलेख या दानपत्र / विभाजन विलेख (पी0डी0ए प्रारूप में)		✓	
5	उत्तराधिकार प्रमाण–पर (पी0डी0एफ0 प्रारूप में)	✓		
6	मृत्यु प्रमाण–पर (जी0आई0एफ0, पी0एन0जी0, जे0पी0जी0, जे0पी0ई0जी0 पी0डी0एफ0 प्रारूप में)	✓		✓
7	रजिस्ट्रीकृत वसीयत (जी0आई0एफ0, पी0एन0जी0, जे0पी0जी0, जे0पी0ई0जी0 पी0डी0एफ0 प्रारूप में)			✓
8	मूल पट्टा विलेख की प्रतिलिपि	✓	✓	
9	पूर्व में जारी नामान्तरण–पत्र की प्रतिलिपी, यदि काई हो	✓	✓	✓

(ख) आवेदन कारण प्रोद्भूत होने के अधिकतम तीन माह के भीतर प्रस्तुत किया जा सकेगा। इस अवधि के पश्चात नगर निगम द्वारा नियत बिलम्ब शुल्क के साथ आवेदन प्रस्ततुत किए जा सकेंगे।

(ग) नगर आयुक्त या उसके द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत अधिकारी नियम–6 के अनुसार प्रभार की धनराशि की गणना करेगा और आवेदन करने की तिथि से पाँच कार्य दिवसों के अन्दर आवेदक को तत्सम्बन्ध में आनलाइन भुगतान हेतु संसूचित करेगा। इसके साथ ही उस सम्पत्ति पर अवशेष सभ देयों के भुगतान हेतु भी सूचित किया जाएगा। आवेदक द्वारा तदनुसार पूर्ण धनराशि आगामी अधिकतम सात दिवसों में भुगतान की जाएगी। निर्धारितअवधि में भुगतान प्राप्त हो जाने पर प्रस्ताव परिवर्तन या संशोधन के संबंध में प्रारूप–3 पर इस आशय की कम से कम एक महीने की नोटिस सभी सम्बन्धित हितबद्ध व्यक्तियों को जारी की जाएगी और उसकी एक प्रति आवेदक को भी दी जाएगी।

(घ) खण्ड (ग) के अधीन जारी नोटिसों की सभी पक्षों को सम्यक् और सन्तोषजनक तामीली न हाने की स्थिति में उक्त नोटिस उस नगर निगम क्षेत्र में परिचालन वाले कम से कम दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराई जाएगी। समाचार–पत्र में नोटिस के प्रकाशन का शुल्क उसके वास्तविक व्यय के अनुसार आवेदक द्वारा भुगतान किया जाएगा। वैकल्पिक रूप में आवेदक उसे नगर निगम द्वारा इस निमित्त निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने निजी व्यय पर नगर निगम क्षेत्र में परिचालन वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में उक्त नोटिस सीधे प्रकाशित करा सकता है।

(ड़) खण्ड (ग) के अधीन संसूचित धनराशि का भुगतान नियत अवधि में न किए

		जाने पर एक अन्य अवसर प्रदान करते हुए पनः एक सप्ताह का समय दिया जाएगा। इस अवधि में भी प्रभार की धनराशि न जमा करने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। (च) खण्ड (ग) और खण्ड (घ) के अन्तर्गत जारी नोटिस में अकित अवधि व्यतीत होने के पश्चात काई उत्तर या आत्ति प्राप्त न होने की स्थिति में अधिशासी अधिकारी द्वारा अभिलेखों के नियम सम्मत पाए जाने पर तदनुसार आदेश पारित करते हुए निर्धारण सूखी में यथास्थिति संशोधन या परिवर्तन कर दिया जाएगा और सूची प्रमाणीकरण के लिए प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षरों से उसे प्रमाणिकृत किसा जाएगा। (छ) खण्ड (ग) और (घ) के अधीन जारी नोटिस में नियत अवधि के भीतर उत्तर या आपत्ति प्राप्त होन की दशा में नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी संक्षिप्त जाँच और सम्बन्धित पक्षों/आपत्तिकर्ताओं या हितइद्ध व्यक्तियों को सम्यक् सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात उपलब्ध अभिलेखीय समग्री और गुण–दोष के आधार पर दनका निस्मारण करने और समुचित आदेश पारित करने हेतु अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करेगा। किसी प्रकार के स्वत्वाधिकार से सम्बन्धित विवादित प्रकरण पर सक्षम न्यायालय का निर्णय अपेक्षित होगा। (ज) निर्धारण सूची मे संशोधन/परिवर्तन सम्बन्धी प्रभारों सहित अन्य समस्त देयों के भुगतान प्राप्त होने के दिनांक से अधिकतम 45 कार्य दिवसों की अवधि में अविवादित प्रकराणों सम्बन्धी आवेदन का आनलाइन निस्तारण किया जाएगा। (3) (क) कर निर्धारण सूची में सम्पत्ति के अध्यासन के आधार पर अंकित अध्यासियों के संबंध में संशोधन और परिवर्तन उक्त अधिनियम, 1959 की धारा–2 के खण्ड (47) के अधीन पभिाषित अध्यासी के पक्ष में किए जा सकेंगे। (ख) कर निर्धारण सूची एवं तत्सम्बन्धी जारी आदेश में ऐसे संशोधन/परिवर्तन किए जाने पर 'अध्यासी' शब्द का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा जिसे प्रमाणीकृत करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षरों से प्रमाणीकृत किया जाएगा। (ग) अध्यासन के आधार पर किए गए कर निर्धारण के विषय में वार्डवार कर निर्धारण सूची पृथक् से तैयार की जाएगी और उसी में संशोधन/परिवर्तन सम्बन्धी अपेक्षित प्रविष्टियाँ की जाएगी। (4) निर्धारण सूची के संशोधन अथवा परिवर्तन का प्रयोजन मात्र भवन, भूमि या दोनों के सम्पत्ति कर की वसूली के दृष्टिगत होगा।
हस्तान्तरण की नोटिस दिया जाना हस्तान्तरणकर्ता और हस्तान्तरिती की बाध्यता	5	(1) जब किसी सम्पत्ति के सम्पत्ति कर के भुगतान के लिये प्रथमतः दायी किसी व्यक्ति का स्वत्वाधिकार हस्तानान्तरित होता है तो वह व्यक्ति जिसका स्वत्वाधिकार हस्तानान्तरित हुआ है और उस व्यक्ति जिसे वह हस्तानान्तरित किया गया है, हस्तान्तारण विलेख के निष्पादित होन के तीन माह के भीतर ऐसे हस्तान्तरण की सूचना नगर आयुक्त को देगें। (2) पूर्वोत्तानुसार प्रथमतः दायी किसी व्यक्ति की मृत्यु जिसे उत्तराधिकारी के रूप में या अन्यथा मृतक का स्वात्वाधिकार हस्तान्तरित हुआ है, नगर आयुक्त को मृतक के छः माह के भीतर ऐसे हस्तान्तरण की सूचना देगा। (3) नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को उक्त सूचना के माध्यम से ऐसा हस्तान्तरण संज्ञा में आते ही, इस उपविधि के प्रावधानों के अनुसार अन्तरिति का नाम निर्धारण सूची में प्रविष्ट कर दिया जाएगा। (4) प्रत्येक व्यक्ति जो नगर आयुक्त को इस प्रकार की सूचना दिये बिना पूर्वोक्तवत् हस्तान्तरण करता है, ऐसी उपेक्षा से उद्भूत अन्य देयता के सहित हस्तान्तरित सम्पत्ति पर निर्धारित सम्पत्ति कर के भुगतान का दायित्व निरत्नर बना रहेगा जब तक कि वह इस संबंध में सूचना/आवेदन नहीं देता अथवा जब तक कि ऐसा हस्तान्तरण निर्धारण सूची में अभिलेखित नहीं किया जाता। (5) जब ऐसी सूचना/आवेदन नियत अवधि में प्रस्तुत नहीं किया गया हों तो नगर निगम द्वारा नियत विलम्ब शुल्क के साथ इसे प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। (6) यदि काई भवन गिरा दिया गया हो या ध्वस्त हो गया हो तो जब तक नगर आयुक्त को इसकी नोटिस न दे दी गई हो, तब तक स्वामी/अध्यासी सम्पत्ति कर के भुगतान का दायी होगा जैसा कि वह भवन गिराए जाने या ध्वस्त न किये जाने की स्थिति में दायी था।

<table>
<tr><td>निर्धारण सूची के संशोधन / परिवर्तन हेतु प्रभारों का लगाया जाना</td><td>6</td><td>(1) जहाँ कर निर्धारण सूची के संशोधन और परिवर्तन हेतु आवेदन नगर निगम को प्रस्तुत किया जाय वहाँ आवेदक से प्रभार इस उपविधि के अनुसार उद्गृहीत किया जाएगा। प्रभार की दरें निम्नवत् होगी:–
(क) किसी विधिक उत्तराधिकारी या रजिस्ट्रीकरण वसीयत के मामलें में एवं नियम–3 के उपनियम (3) के अधीन अन्य सभी मामलों में प्रभारों की दर जिलाधिकारी द्वारा नियत सर्किल रेट या पंजीकरण विलेख में अंकित धनराशि, जो भी अधिक हो, के आधार पर प्रस्तावित दर निम्नवत् है। आवेदन के समय आवेदक द्वारा ₹ 1000 / –(एक हजार मात्र) आवेदन शुल्क एवं ₹ 500 / –(विज्ञापन शुल्क) अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।
<table>
<tr><th>क्र0सं0</th><th>सम्पत्ति पर एकमुश्त प्रभार की धनराशि</th></tr>
<tr><td>01</td><td>₹ 5000 / – (₹ पॉच हजार मात्र)</td></tr>
</table>
(ख) विलम्ब शुल्क–
<table>
<tr><th>क्र0 सं0</th><th>नामान्तरण कराये जाने जाने में विलम्ब (वर्ष के आधार पर)</th><th>विलम्ब शुल्क</th></tr>
<tr><td>1</td><td>एक वर्ष से तीन वर्ष तक</td><td>₹ 1000 / – (₹ एक हजार मात्र)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>तीन वर्ष से अधिक पॉच वर्ष तक</td><td>₹ 2000 / – (₹दो हजार मात्र)</td></tr>
<tr><td>3</td><td>पॉच वर्ष से अधिक दस वर्ष तक</td><td>₹ 5000 / – (₹ पॉच हजार मात्र)</td></tr>
<tr><td>4</td><td>दस वर्ष से अधिक</td><td>₹ 10,000 / –(₹ दस हजार मात्र)</td></tr>
</table>
(2) उपर्युक्त दरों में परिवर्तन अधिनियम, 1959 की धारा 92 के प्राविधानों के अन्तर्गत नगर निगम बोर्ड की स्वीकृति / अनुमोदन से किया जा सकेगा।
(3) यदि उस सम्पत्ति के संबंध में नगर निगम से सम्बन्धित काई धनराशि देय है तो उसका भुगतान निर्धारण सूची के संशोधन और परिवर्तन हेतु देय प्रभारों के साथ किया जाएगा।</td></tr>
<tr><td>आदेश का संशोधन या निरस्तीकरण</td><td>7</td><td>जहाँ नगर आयुक्त स्वतः या अन्यथा, ऐसी जाँच जैसा वह उचित समझे से सन्तुष्ट है कि सूची में संशोधन या परिवर्तन छल, सारवान तथ्यों के दुर्व्यपदेशन करके अथवा तथ्यों को छिपाकर अथवा मिथ्या, अशुद्ध और अपूर्ण अभिलेखों के आधार पर किया गया है तो वह सम्बन्धित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुए पुनः सुनवाई कर सकता है और लिखित रूप में कारणों को अभिलिखित करते हुए संशोधन या परिवर्तन निरस्त कर सकता है, उसे संशोधित कर सकता है अथवा परिवर्तित कर सकता है।</td></tr>
<tr><td>अपील</td><td>8</td><td>नगर आयुक्त या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के किसी आदेश से क्षुब्ध काई व्यक्ति उस दिनांक जिस दिनांक को उसे विनिश्चय संसूचित किया गया है, से तीस दिन के भीतर उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा–472 के अधीन अपील कर सकता है।</td></tr>
</table>

प्रपत्र–1

(नियम–4 (1 ख) देखें)

भवन निर्माण / पुनर्निर्माण / परिवर्तन / परिवर्धन सम्बन्धी सूचना–प्रपत्र

1. भवन स्वामी / अध्यासी का नाम –
2. भवन संख्या / आई0डी0 सहित भवन की अवस्थिति –

3. भवन का वर्तमान वार्षिक मूल्य —
4. सम्पत्ति कर भूगतान की अद्यतन रसीद सं0 —
5. पूर्व से निर्मित भवन का आच्छादित क्षेत्रफल —
6. नव–निर्माण, पुनर्निमाण या परिर्धन अंश का क्षेत्रफल —
7. नव–निर्माण, पुनर्निमाण या परिर्धन के समापन की तिथि —
8. अध्यासन की तिथि —
9. अन्य विवरण—यदि काई हो।

स्थान– **हस्ताक्षर भवन**
स्वामी/अध्यासी
दिनांक–

पता–
माबाइल नं0–

<u>प्रपत्र–2</u>

(नियम–4 (2) देखें)
निर्धारण सूची में संशोधन/परिवर्तन प्रपत्र

1. आवेदक का नाम, पितृ नाम और पता–
2. सम्पत्ति का विवरणः–
   (1) विक्रय और दान आदि के मामलों में–
      (क) सम्पत्ति संख्या/आई0डी0 और वर्तमान स्वामी का नाम
      (ख) भूमि का क्षेत्रफल/भवन का आच्छादित क्षेत्रफल
      (ग) वर्तमान वाार्षिक मूल्य
      (घ) अन्तरिति का नाम, पितृ नाम और पता
      (ड) हस्तान्तरण की प्रकृति–बिकी/दान
      (च) अन्तरण विलेख के निबन्धन की तिथि
      (छ) काई अन्य विवरण
   (2) मृत्यु, वसीयत आधारित उत्तराधिकार के मामलों में–
      (क) सम्पत्ति संख्या और वर्तमान स्वामी का नाम
      (ख) भूमि का क्षेत्रफल/भवन का आच्छादित क्षेत्रफल
      (ग) वर्तमान वाार्षिक मूल्य
      (घ) व्यक्ति का नाम (मृत्यु तिथि सहित), पितृ नाम तथा पता जिसके सापेक्ष उत्तराधिकारी
द्वारा दावा किया गया है।
      (ड) आवेदक का मृतक से संबंध
      (च) उत्तराधिकारियों का विवरण और अंश
      (छ) उत्तराधिकार का आधार (पैतृक, वसीयत आदि)
      (ज) काई अन्य विवरण
   (3) भ्रान्त कथन, भूल या लोप के मामलों में–
      (क) सम्पत्ति संख्या और वर्तमान स्वामी का नाम
      (ख) भूमि का क्षेत्रफल/भवन का आच्छादित क्षेत्रफल

(ग) वर्तमान वार्षिक मूल्य
(घ) भ्रान्त कथन त्रुटि या लोप की प्रकृति का विवरण
(ड) भ्रान्त कथन त्रुटि या लोप की पुष्अि में साक्ष्य
(च) काई अनय विवरण

टिप्पणी– उप कमांक (1) (2) (3) में से यथा लागू विवरण भरें।

3. आवेदन शुल्क भुगतान का विवरण–
4. अपलोड किये गये अभिलेखों का विवरण–

(1) (2) (3) (4)

प्रपत्र–3

(नियम–4 (2घ) देखें)

श्री/श्रीमती..............................पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती..निवासी ....का नाम नगर निगम....................................... की की निर्धारण सूची में अंकित है।

2. (1) श्री/श्रीमती..............................पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती..निवासी .... द्वारा इस संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि श्री/श्रीमती.................... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती.................... की मृत्यु दिनांक............... को हो गई है वह/वे उनके विधिक उत्तराधिकारी हैं और साक्ष्य रूप में... प्रस्तुत किया गया है।

(2) उनके द्वारा अपना नाम प्रविष्ट कर निर्धारण सूची को संशोधित/परिवर्तित करने का अनुराध किया गया है।

3. यदि किसी व्यक्ति/व्यक्तियों को उपरोक्त के विरूद्ध काई आपत्ति हो तो वह/वे अपनी आपत्तियाँ लिखित रूप में साक्ष्यों सहित इस नोटिस के प्रकाशित/प्राप्त होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर नगर निगम के जोन संख्या....................... .... के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता/सकती हैं। उक्त तिथि तक काई आपत्ति प्राप्त न होने की स्थिति में आवेदक/आवेदकों का नाू सूची में प्रविष्ट कर दिया जाएगा और काई पश्चातवर्ती दावा, ग्रहण नहीं किया जाएगा।

सम्पत्ति का विवरण–

सम्पत्ति आई0डी0 सम्पत्ति संख्या
अवस्थिति
जारी करने की तिथि
मुहर
हस्ताक्षर

जारी करने वाले
अधिकारी का नाम
पदनाम सहित

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ–

1. समस्त हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
2. आवेदक का नाम

उक्त प्रस्ताव मा0सदन एवं मा0 कार्यकारिणी समिति के अनुमोदनार्थ एवं स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

.... तद्नुसार नामान्तरण में उत्तराधिकारी या रजिस्ट्रीकृत एवं जिलाधिकारी सर्किल रेट या पंजीकरण के आधार को सरलीकृत करते हुए सभी के लिये समान दर रू0 1000/– आवेदन शुल्क, विज्ञापन शुल्क रू0 500/– एवं नामान्तरण रू0 5000/–(रू0 पॉच हजार मात्र), विकास शुल्क एवं विलम्ब शुल्क यदि 01 से 03 वर्ष का विलम्ब हो तो, ₹ एक हजार , 03 से 05 वर्ष हेतु ₹ दो हजार, ₹ 05 से 10 वर्ष हेतु 05 हजार एवं 10 वर्ष से अधिक हेतु ₹ दस हजार के साथ नामान्तरण की कार्यवाही हेतु सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

प्रस्ताव संख्या– 209

अधिशाषी अभियन्ता (एस0डब्ल्यू0एम0), मुख्य अभियन्ता "सिविल", अपर नगर आयुक्त, नगर आयुक्त द्वारा अग्रसारित एवं मा0 महापौर द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

कानपुर नगर निगम

माननीय सदन के समक्ष प्रस्ताव

सी0यू0जी0एल0 कम्पनी द्वारा कानपुर नगर मे ठोस अपषिष्ट प्रबंधन प्लाण्ट, भवसिंह पनकी में "वेस्ट टू एनर्जी प्लाण्ट" की स्थापना एवं संचालन कराये जाने के संबंध में।

मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय उच्चाधिकार समिति की सम्पन्न 13वीं बैठक दिनांक 06.03.2023 के कार्यवृत्त संख्या–1658/नौ–5–2023 /355 सा/2014, दिनांक 27.03.2023 के एजेण्डा बिन्दु–3 "सी0यू0जी0एल0 कम्पनी द्वारा कानपुर नगर में म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट आधारित बायो गैस प्रोजेक्ट सोलर रूफ टॉप की स्थापना कराये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गयी है। जिसके अनुपालन में राज्य मिषन निदेषक, स्वच्छ भारत मिषन–निदेषालय, लखनऊ द्वारा अपने पत्र संख्या–पी0एम0यू0/8373/429(12–1)/2022, दिनांक 16 मई, 2023 के माध्यम से नगर निगम द्वारा संचालित ठोस अपषिष्ट प्रबंधन प्लाण्ट, भवसिंह पनकी में "वेस्ट टू एनर्जी प्लाण्ट" की स्थापना एवं संचालन हेतु Kanpur Municipal Corporation एवं Central U.P. Gas Limited के मध्य Memorandum of Understanding (MoU) करने के निर्देष दिये गये थे, जिसके अनुपालन में कृत कार्यवाही की बिन्दुवार आख्या निम्नानुसार है :–

- नगर निगम कानपुर एवं सी0यू0जी0एल0 के मध्य दिनांक 31 मार्च, 2023 को प्रथम बार द्विपक्षीय MoU हस्ताक्षरित किया गया एवं दिनांक 12 दिसम्बर, 2023 को "Lease-Deed" निष्पादित की गयी थी।
- परियोजनार्न्तगत सी0यू0जी0एल0 कानपुर को प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग (अनुभाग–5) के पत्र संख्या–2221/नौ–5–18–352 सा/2016 दिनांक 29 जून,2016 में निहित शर्तो के अधीन परियोजना के क्रियान्वयन हेतु यथा आवष्यक 1,50,000.00 वर्ग मी0 (लगभग 15.00 हे0) भूमि ठोस अपषिष्ट प्रबंधन प्लाण्ट, भवसिंह पनकी में पट्टे पर 1/–रूपया प्रति वर्गमीटर वार्षिक किराये पर परियोजना अवधि (30 वर्षो) हेतु दिया जाना प्रस्तावित है।
- परियोजना के डिजाइन चरण से लेकर कमीषनिंग चरण तक की समय सीमा लगभग 18 माह है।

शासन प्रारूप

.... नगर निगम (निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन) उपविधि, 2024 का प्रारूप

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (अधिनियम सं0 2 सन् 1959) की धारा- 213 और धारा- 541 के खण्ड (42) एवं (49) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके ....नगर निगम जिस उपविधि के बनाने का प्रस्ताव करता है, उसका निम्नलिखित प्रारूप अधिनियम, 1959 की धारा- 543 की अपेक्षानुसार समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए और उसके संबंध में आपत्तियाँ एंव सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

आपत्तियाँ और सुझाव, यदि कोई हों, नगर आयुक्त, नगर निगम .... को सम्बोधित करके लिखित रूप में प्रेषित किये जायेंगे। केवल उन्हीं आपत्तियों पर विचार किया जाएगा जो इस उपविधि के प्रकाशित होने के दिनांक से तीस दिनों के भीतर प्राप्त होंगे।

.....................नगर निगम (निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन), उपविधि, 2024

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ	1	(1) यह उपविधि ....नगर निगम (निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन), उपविधि 2024 कही जायेगी। (2) यह नगर निगम.................... में लागू होगी। (3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।
परिभाषाएँ	2	(1) जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस उपविधि में- (क) 'अधिनियम' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 से है। (ख) 'आबादी' का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जो राजस्व अभिलेखों में आबादी के रूप में अभिलिखित हो और जिसका उपयोग नगर निगम सीमा में उस क्षेत्र के सम्मिलित होने के दिनांक को उसके निवासियों के आवास और तत्सम्बन्धी प्रयोजनों के लिए किया जा रहा हो। (ग) 'निर्धारण सूची' का तात्पर्य अधिनियम, 1959 की धारा- 207 के अधीन तैयार की गई कर निर्धारण सूची से है। (घ) 'संशोधन और परिवर्तन' का तात्पर्य अधिनियम, 1959 की धारा- 213 के अधीन कर निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन से है। (ङ) 'सम्पत्ति' का तात्पर्य यथास्थिति किसी भवन या भूमि या दोनों से है। (च) 'सम्पत्ति कर' का तात्पर्य नगर नगर निगम सीमा में अवस्थित भवनों या भूमियों या दोनों के वार्षिक मूल्य पर लगाए जाने वाले सामान्य कर/भवन कर, जल कर, जल निस्सारण कर और स्वच्छता कर से है (2) इस उपविधि में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए क्रमशः समनुदेशित हों।
निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन का कारण	3	(1) अधिनियम, 1959 की धारा- 210 के अधीन नगर निगम कार्यालय में जमा प्रमाणीकृत कर निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन उक्त अधिनियम, 1959 की धारा- 213 के अधीन उल्लिखित कारकों के प्रोद्भूत होने की स्थिति में किया जा सकेगा।
		(2) ऐसा व्यक्ति जो निर्धारण सूची के प्रमाणीकृत होने के पश्चात् किसी कारणवश कराधान के लिए दायी हो गया है, उसका नाम सूची में सम्मिलित करके निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन किया जाएगा।

<table>
<tr>
<td></td>
<td>(क) किसी सम्पत्ति के स्वामित्व के हस्तान्तरण या स्वामित्व सामान्यतया निम्न के आधार पर प्राप्त होगा-
(एक) पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा,
(दो) पंजीकृत वसीयत द्वारा,
(तीन) पंजीकृत विभाजन विलेख द्वारा,
(चार) पंजीकृत दान-पत्र द्वारा,
(पाँच) विधिक उत्तराधिकार द्वारा।
(ख) किसी सम्पत्ति के अध्यासी के स्थान पर किसी व्यक्ति के नाम की प्रविष्टि की स्थिति सामान्यतया इस प्रकार हो सकेगी-
(एक) नगर निगम सीमा में नव सम्मिलित आबादी क्षेत्र में स्थित सम्पत्ति,
(दो) गैर जमींदारी उन्मूलन (नान जेड0ए0) क्षेत्र की सम्पत्ति,
(तीन) किसी सम्पत्ति जिसका किराया दिया जाता हो या देय हो।
(चार) सम्पत्ति का किराया मुक्त किरायेदार और अनुज्ञापी।
(4) (क) सम्पत्ति के त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन, वार्षिक मूल्य और कर की दर में वृद्धि/परिवर्तन होने से कर निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन किया जा सकेगा।
(ख) किसी भी समय जब यह स्पष्ट हो जाये कि किसी सम्पत्ति का मूल्यांकन और कर निर्धारण सम्पत्ति के स्वामी/अध्यासी द्वारा गलत विवरण देने के आधार पर, या तथ्यों के छिपाने या भ्रान्त कथन या किसी भूल के कारण किया गया है तो उसमें किए गए सुधार की प्रविष्टि कर तदनुसार कर निर्धारण सूची संशोधित की जा सकेगी।
(5) भवन में किए गए परिवर्तन और परिवर्धन के फलस्वरूप उसके वार्षिक मूल्यांकन और कर की धनराशि में वृद्धि करके निर्धारण सूची में संशोधन किया जा सकेगा।</td>
</tr>
<tr>
<td>सूची में संशोधन और परिवर्तन की प्रक्रिया</td>
<td>(1) (क) नियम 3 के अधीन निर्धारण सूची में व्यक्ति या सम्पत्ति का विवरण छूट जाने, नव निर्माण या पुनर्निर्माण होने पर स्वामी या अध्यासी निर्धारित प्रपत्र के साथ सम्पत्ति का स्वकर निर्धारण कर के सम्पत्ति कर की धनराशि नगर निगम द्वारा यथा निर्दिष्ट बैंक या कार्यालय में जमा कर सकेगा। नगर निगम के नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा स्वकर निर्धारण प्रपत्र के आधार पर अपेक्षित प्रविष्टियाँ निर्धारण सूची में की जाएँगी।
(ख) अन्यथा स्थिति में सम्पत्ति का स्वामी या अध्यासी विहित प्रपत्र- 1 में अपेक्षित सूचना निर्माण या पुनर्निर्माण के समापन अथवा अध्यासन के दिनांक जो भी पहले हो, के 60 दिवसों के भीतर नगर आयुक्त को अनिवार्य रूप से देगा। नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी तदुपरान्त नियमानुसार सम्पत्ति का मूल्यांकन और कर निर्धारण कर उसे तदनुसार कर निर्धारण सूची में प्रविष्टि करेगा।
(2) (क) सम्पत्ति के स्वामित्व या अध्यासन के हस्तान्तरण के फलस्वरूप कर निर्धारण सूची के संशोधन और परिवर्तन के निमित्त आवेदक नगर निगम की वेब साइट पर प्रपत्र-2 में अपना प्रोफाइल बनाकर आनलाइन आवेदन करेगा।
(ख) आवेदक नगर निगम द्वारा निर्धारित आवेदन शुल्क, जो रू0 100.00 प्रति आवेदन से अधिक न होगा, को आनलाइन भुगतान करेगा और यथास्थिति निम्नलिखित अभिलेखों को अपलोड करेगा-
<table>
<tr><th>क्र0 स0</th><th>अभिलेखों का प्रकार</th><th>मृत्यु के आधार पर</th><th>विक्रय पत्र, विभाजन विलेख,</th><th>पंजीकृत वसीयत के आधार पर</th></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

			दानपत्र व अन्य के आधार पर	
1	आवेदक की फोटो (जे0पी0जी0 प्रारूप में)	✓	✓	✓
2	आवेदक की पहचान का प्रमाण (जे0पी0जी0 प्रारूप में)	✓	✓	✓
3	आवेदक का शपथ-पत्र (पी0डी0एफ0 प्रारूप में)	✓	✓	✓
4	पंजीकृत विक्रय-विलेख या दानपत्र/विभाजन विलेख (पी0डी0एफ0 प्रारूप में)	-	✓	-
5	उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र (पी0डी0एफ0 प्रारूप में)	✓	-	-
6	मृत्यु प्रमाण-पत्र (जी0आई0एफ0, पी0एन0जी0, जे0पी0जी0, जे0पी0ई0जी0, पी0डी0एफ0 प्रारूप में)	✓	-	✓
7	रजिस्ट्रीकृत वसीयत (जी0आई0एफ0, पी0एन0जी0, जे0पी0जी0, जे0पी0ई0जी0, पी0डी0एफ0 प्रारूप में)	-	-	✓
8	मूल पट्टा विलेख की प्रतिलिपि	✓	✓	-
9	पूर्व में जारी नामान्तरण-पत्र की प्रतिलिपि, यदि कोई हो	✓	✓	✓

(ग) आवेदन कारण प्रोद्भूत होने के अधिकतम तीन माह के भीतर प्रस्तुत किया जा सकेगा। इस अवधि के पश्चात् नगर निगम द्वारा नियत बिलम्ब शुल्क के साथ आवेदन प्रस्तुत किए जा सकेंगे।

(घ) नगर आयुक्त या उसके द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत अधिकारी नियम-6 के अनुसार प्रभार की धनराशि की गणना करेगा और आवेदन करने की तिथि से पाँच कार्य दिवसों के अन्दर आवेदक को तत्सम्बन्ध में आनलाइन भुगतान हेतु संसूचित करेगा। इसके साथ ही उस सम्पत्ति पर अवशेष सभी देयों के भुगतान

हेतु भी सूचित किया जाएगा। आवेदक द्वारा तदनुसार पूर्ण धनराशि आगामी अधिकतम सात दिवसों में भुगतान की जाएगी। निर्धारित अवधि में भुगतान प्राप्त हो जाने पर प्रस्तावित परिवर्तन या संशोधन के संबंध में प्रारूप-3 पर इस आशय की कम से कम एक महीने की नोटिस सभी सम्बन्धित हितबद्ध व्यक्तियों को जारी की जाएगी और उसकी एक प्रति आवेदक को भी दी जाएगी।

(ङ) खण्ड (घ) के अधीन जारी नोटिसों की सभी पक्षों को सम्यक् और सन्तोषजनक तामीली न होने की स्थिति में उक्त नोटिस उस नगर निगम क्षेत्र में परिचालन वाले कम से कम दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराई जाएगी। समाचार-पत्र में नोटिस के प्रकाशन का शुल्क उसके वास्तविक व्यय के अनुसार आवेदक द्वारा भुगतान किया जाएगा। वैकल्पिक रूप में आवेदक उसे नगर निगम द्वारा इस निमित्त निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने निजी व्यय पर नगर निगम क्षेत्र में परिचालन वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में उक्त नोटिस सीधे प्रकाशित करा सकता है।

(च) खण्ड (घ) के अधीन संसूचित धनराशि का भुगतान नियत अवधि में न किए जाने पर एक अन्य अवसर प्रदान करते हुए पुनः एक सप्ताह का समय दिया जाएगा। इस अवधि में भी प्रभार की धनराशि न जमा करने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।

(छ) खण्ड (घ) और खण्ड (ङ) के अन्तर्गत जारी नोटिस में अंकित अवधि व्यतीत होने के पश्चात् कोई उत्तर या आपत्ति प्राप्त न होने की स्थिति में अधिशासी अधिकारी द्वारा अभिलेखों के नियम सम्मत पाए जाने पर तदनुसार आदेश पारित करते हुए निर्धारण सूची में यथास्थिति संशोधन या परिवर्तन कर दिया जाएगा और सूची प्रमाणीकरण के लिए प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षरों से उसे प्रमाणीकृत किया जाएगा।

(ज) खण्ड (घ) और खण्ड (ङ) के अधीन जारी नोटिस में नियत अवधि के भीतर उत्तर या आपत्ति प्राप्त होने की दशा में नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी संक्षिप्त जाँच और सम्बन्धित पक्षों/ आपत्तिकर्ताओं या हितबद्ध व्यक्तियों को सम्यक् सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् उपलब्ध अभिलेखीय सामग्री और गुण-दोष के आधार पर उनका निस्तारण करने और समुचित आदेश पारित करने हेतु अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करेगा। किसी प्रकार के स्वत्वाधिकार से सम्बन्धित विवादित प्रकरण पर सक्षम न्यायालय का निर्णय अपेक्षित होगा।

(झ) निर्धारण सूची में संशोधन/परिवर्तन सम्बन्धी प्रभारों सहित अन्य समस्त देयों के भुगतान प्राप्त होने के दिनांक से अधिकतम 45 कार्य दिवसों की अवधि में अविवादित प्रकरणों सम्बन्धी आवेदन का आनलाइन निस्तारण किया जाएगा।

(3) (क) कर निर्धारण सूची में सम्पत्ति के अध्यासन के आधार पर अंकित अध्यासियों के संबंध में संशोधन और परिवर्तन उक्त अधिनियम, 1959 की धारा- 2 के खण्ड (47) के अधीन परिभाषित अध्यासी के पक्ष में किए जा सकेंगे।

(ख) कर निर्धारण सूची एवं तत्सम्बन्धी जारी आदेश में ऐसे संशोधन/परिवर्तन किए जाने पर 'अध्यासी' शब्द का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा जिसे प्रमाणीकृत करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षरों से प्रमाणीकृत किया जाएगा।

(ग) अध्यासन के आधार पर किए गए कर निर्धारण के विषय में वार्डवार कर निर्धारण सूची पृथक् से तैयार की जाएगी और उसी में संशोधन/परिवर्तन सम्बन्धी अपेक्षित प्रविष्टियाँ की जाएगी।

(4) निर्धारण सूची के संशोधन अथवा परिवर्तन का प्रयोजन मात्र भवन, भूमि या दोनों के सम्पत्ति कर की वसूली के दृष्टिगत होगा।

हस्तान्तरण की नोटिस दिया जाना हस्तान्तरणकर्ता और हस्तान्तरिती की बाध्यता — 5

(1) जब किसी सम्पत्ति के सम्पत्ति कर के भुगतान के लिए प्रथमतः दायी किसी व्यक्ति का स्वत्वाधिकार हस्तान्तरित होता है तो वह व्यक्ति जिसका स्वत्वाधिकार हस्तान्तरित हुआ है और वह व्यक्ति जिसे वह हस्तान्तरित किया गया है, हस्तान्तरण विलेख के निष्पादित होने के तीन माह के भीतर ऐसे हस्तान्तरण की सूचना नगर आयुक्त को देंगे।

(2) पूर्वोक्तानुसार प्रथमतः दायी किसी व्यक्ति की मृत्यु की दशा में वह व्यक्ति जिसे उत्तराधिकारी के रूप में या अन्यथा मृतक का स्वत्वाधिकार हस्तान्तरित हुआ है, नगर आयुक्त को मृतक की मृत्यु के छः माह के भीतर ऐसे हस्तान्तरण की सूचना देगा।

(3) नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को उक्त सूचना के माध्यम से ऐसा हस्तान्तरण संज्ञान में आते ही, इस उपविधि के प्रावधानों के अनुसार अन्तरिती का नाम निर्धारण सूची में प्रविष्ट कर दिया जाएगा।

(4) प्रत्येक व्यक्ति जो नगर आयुक्त को इस प्रकार की सूचना दिये बिना पूर्वोक्तवत् हस्तान्तरण करता है, ऐसी उपेक्षा से उद्‌भूत अन्य देयता के सहित हस्तान्तरित सम्पत्ति पर निर्धारित सम्पत्ति कर के भुगतान का दायित्व निरन्तर बना रहेगा जब तक कि वह इस संबंध में सूचना/आवेदन नहीं देता अथवा जब तक कि ऐसा हस्तान्तरण निर्धारण सूची में अभिलिखित नहीं किया जाता।

(5) जब ऐसी सूचना/आवेदन नियत अवधि में प्रस्तुत नही किया गया हों तो नगर निगम द्वारा नियत विलम्ब शुल्क के साथ इसे प्रस्तुत किया जा सकता है।

(6) यदि कोई भवन गिरा दिया गया हो या ध्वस्त हो गया हो तो जब तक नगर आयुक्त को इसकी नोटिस न दे दी गई हो, तब तक स्वामी/अध्यासी सम्पत्ति कर के भुगतान का दायी होगा जैसा कि वह भवन गिराए जाने या ध्वस्त न किये जाने की स्थिति में दायी था।

निर्धारण सूची के संशोधन/परिवर्तन हेतु प्रभारों का लगाया जाना — 6

(1) जहाँ कर निर्धारण सूची के संशोधन और परिवर्तन हेतु आवेदन नगर निगम को प्रस्तुत किया जाय वहाँ आवेदक से प्रभार इस उपविधि के अनुसार उद्‌गृहीत किया जाएगा। प्रभार की दरें निम्नवत् होंगी-

(क) किसी विधिक उत्तराधिकारी या रजिस्ट्रीकृत वसीयत के मामले में प्रभार की दरें निम्नवत् होगी:-

क्र0सं0	सम्पत्ति का क्षेत्रफल (वर्गफीट में)	प्रभार की धनराशि (रूपये में)
1	1000 तक	1000/-
2	1001-2000 तक	2000/-
3	2001-3000 तक	3000/-
4	3000 से अधिक	5000/-

(ख) नियम- 3 के उपनियम (3) के अधीन अन्य सभी मामलों में प्रभारों की दर जिलाधिकारी द्वारा नियत सर्किल रेट या पंजीकरण विलेख में अंकित धनराशि, जो भी अधिक हो, के आधार पर निम्नवत् होगी-

क्र0सं0	सम्पत्ति का मूल्य	प्रभार की धनराशि

		(रूपये में)
1	रू0 5 लाख तक	1000/-
2	रू0 5 लाख से रू0 10 लाख तक	2000/-
3	रू0 10 लाख से रू0 15 लाख तक	3000/-
4	रू0 15 लाख से रू0 50 लाख तक	5000/-
5	रू0 50 लाख से ऊपर	10000/-

(2) उपर्युक्त दरों में परिवर्तन अधिनियम, 1959 की धारा 92 के प्राविधानों के अन्तर्गत नगर निगम बोर्ड की स्वीकृति/अनुमोदन से किया जा सकेगा।

(3) उपनियम (1) के खण्ड (क) के अधीन एक से अधिक मध्यवर्ती संशोधन और परिवर्तन की स्थिति में प्रत्येक संशोधन और परिवर्तन पर उसमें विनिर्दिष्ट धनराशि के 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त प्रभार देय होगा।

(4) यदि उपनियम (1) के खण्ड (ख) के मामलों में एक या एक से अधिक मध्यवर्ती विक्रय या अन्य अन्तरण हों और सम्बन्धित सम्पत्ति मध्यवर्ती क्रेताओं या अन्तरिती के नाम से निर्धारण सूची में अन्तरित न की गई हो तो प्रत्येक मध्यवर्ती विक्रय विलेख/अन्तरण पर इस उपविधि के अनुसार उपनियम-(1) के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट धनराशि के 25 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त प्रभार उद्गृहीत किया जाएगा।

(5) यदि उस सम्पत्ति के संबंध में नगर निगम से सम्बन्धित कोई धनराशि देय है तो उसका भुगतान निर्धारण सूची के संशोधन और परिवर्तन हेतु देय प्रभारों के साथ किया जाएगा।

आदेश का संशोधन या निरस्तीकरण	7	जहाँ नगर आयुक्त स्वतः या अन्यथा, एसी जाँच जैसा वह उचित समझे से सन्तुष्ट है कि सूची में संशोधन या परिवर्तन छल, सारवान तथ्यों के दुर्व्यपदेशन करके अथवा तथ्यों को छिपाकर अथवा मिथ्या, अशुद्ध और अपूर्ण अभिलेखों के आधार पर किया गया है तो वह सम्बन्धित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुए पुनः सुनवाई कर सकता है और लिखित रूप में कारणों को अभिलिखित करते हुए संशोधन या परिवर्तन निरस्त कर सकता है, उसे संशोधित कर सकता है अथवा परिवर्तित कर सकता है।
अपील	8	नगर आयुक्त या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के किसी आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति उस दिनांक जिस दिनांक को उसे विनिश्चय संसूचित किया गया है, से तीस दिन के भीतर उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 472 के अधीन अपील कर सकता है।

प्रपत्र- 1

(नियम- 4 (1ख) देखें)

भवन निर्माण/पुनर्निर्माण/परिवर्तन/परिवर्धन सम्बन्धी सूचना- प्रपत्र

1. भवन स्वामी/अध्यासी का नाम -
2. भवन संख्या/आई0डी0 सहित भवन की अवस्थिति -
3. भवन का वर्तमान वार्षिक मूल्य -
4. सम्पत्ति कर भुगतान की अद्यतन रसीद सं0 -
5. पूर्व से निर्मित भवन का आच्छादित क्षेत्रफल -
6. नव-निर्माण, पुनर्निर्माण या परिवर्धन अंश का क्षेत्रफल -
7. नव-निर्माण, पुनर्निर्माण या परिवर्धन के समापन की तिथि -
8. अध्यासन की तिथि -
9. अन्य विवरण- यदि कोई हो।

स्थान- हस्ताक्षर भवन स्वामी/अध्यासी

दिनांक- पता-

मोबाइल नं0-

प्रपत्र- 2

(नियम- 4(2) देखें)

निर्धारण सूची में संशोधन/परिवर्तन प्रपत्र

1. आवेदक का नाम, पितृ नाम और पता-

2. सम्पत्ति का विवरण-

(1) विक्रय और दान आदि के मामलों में-

(क) सम्पत्ति संख्या/आई0डी0 और वर्तमान स्वामी का नाम

(ख) भूमि का क्षेत्रफल/भवन का आच्छादित क्षेत्रफल

(ग) वर्तमान वार्षिक मूल्य

(घ) अन्तरिती का नाम, पितृ नाम और पता

(ङ) हस्तान्तरण की प्रकृति- बिक्री/दान

(च) अन्तरण विलेख के निबन्धन की तिथि

(छ) कोई अन्य विवरण

(2) मृत्यु, वसीयत आधारित उत्तराधिकार के मामलों में-

(क) सम्पत्ति संख्या और वर्तमान स्वामी का नाम

(ख) भूमि का क्षेत्रफल/भवन का आच्छादित क्षेत्रफल

(ग) वर्तमान वार्षिक मूल्य

(घ) व्यक्ति का नाम (मृत्यु तिथि सहित), पितृ नाम तथा पता जिसके सापेक्ष उत्तराधिकारी द्वारा दावा किया गया है।

(ङ) आवेदक का मृतक से संबंध

(च) उत्तराधिकारियों का विवरण और अंश

(छ) उत्तराधिकार का आधार (पैतृक, वसीयत आदि)

(ज) कोई अन्य विवरण

(3) भ्रान्त कथन, भूल या लोप के मामलों में-

(क) सम्पत्ति संख्या और वर्तमान स्वामी का नाम

(ख) भूमि का क्षेत्रफल/भवन का आच्छादित क्षेत्रफल

(ग) वर्तमान वार्षिक मूल्य

(घ) भ्रान्त कथन त्रुटि या लोप की प्रकृति का विवरण

(ङ) भ्रान्त कथन, त्रुटि या लोप की पुष्टि में साक्ष्य

(च) कोई अन्य विवरण

टिप्पणी- उप क्रमांक (1) (2) (3) में से यथा लागू विवरण भरें।

3. आवेदन शुल्क भुगतान का विवरण-

4. अपलोड किये गये अभिलेखों का विवरण-

(1) (2) (3) (4)

प्रपत्र- 3

(नियम- 4 (2घ) देखें)

नोटिस

श्री/श्रीमती .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती .... निवासी .... का नाम नगर निगम.................... की कर निर्धारण सूची में अंकित है।

2. (1) श्री/श्रीमती...................... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती ....निवासी..................... द्वारा इस संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि श्री/श्रीमती ....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती...................... की मृत्यु दिनांक..................को हो गई है वह/वे उनके विधिक उत्तराधिकारी हैं और साक्ष्य रूप में .... प्रस्तुत किया गया है।

(2) उनके द्वारा अपना नाम प्रविष्ट कर निर्धारण सूची को संशोधित/परिवर्तित करने का अनुरोध किया गया है।

3. यदि किसी व्यक्ति/व्यक्तियों को उपरोक्त के विरूद्ध कोई आपत्ति हो तो वह/वे अपनी आपत्तियाँ लिखित रूप में साक्ष्यों सहित इस नोटिस के प्रकाशित/प्राप्त होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर नगर निगम के जोन संख्या.........................के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता/सकती हैं। उक्त तिथि तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की स्थिति में आवेदक/आवेदकों का नाम सूची में प्रविष्ट कर दिया जाएगा और कोई पश्चातवर्ती दावा, ग्रहण नहीं किया जाएगा।

सम्पत्ति का विवरण-

सम्पत्ति आई0डी0	सम्पत्ति संख्या	अवस्थिति

जारी करने की तिथि

मुहर

हस्ताक्षर
जारी करने वाले
अधिकारी का नाम
पदनाम सहित

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ-

1. समस्त हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
2. आवेदक का नाम